financial year 1998-99. A basic custom duty of 5% and a countervailing duty of Rs. 850/- per tonne, was imposed on imported sugar w.e.f. 28th April, 1998. The basic custom duty on imported sugar was increased to 20% w.e.f. 14.1.1999. In the Union Budget for 1999-2000, the duty on imported sugar has further been increased from 20% to 27.5% (25% plus 10% surcharge).

Construction of FCI Godowns in Andhra Pradesh

2835. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is a long pressing demand for construction of more godowns for the Food Corporation of India in Andhra Pradesh; and

(b) how many private godowns have been hired by FCI for storage of foodgrains, giving the details of capacity and cost thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) and (b) The total storage capacity available with FCI (Owned/Hired & CAP) in Andhra Pradesh as on 1.3.1999 is 21.95 lakh MT and the utilisation of this capacity is about 76%. As such the existing storage capacity is sufficient to meet the PDS requirement.

FCI propose to construct additional capacity at the following centres during the 9th Five Year Plan period:—

(1) Kakatur (Nellore)—30,000 MT

(2) Amalapuram (East Godawari)—10,000 MT

There are 15 godowns hired by the FCI in Andhra Pradesh as on 1.3.1999 with a capacity of 55,740 MTs from private parties. The details are given in the enclosed statement below.

Statement

The Storage Capacity Hired by the FCI

S. No.	Centre	Capacity
1.	Jadeherla	3340
2.	Cuddapah	2500
3.	Kodad	2000
4.	Y.Y. Depot (Nellore)	2500
5.	Rajuppalam	5000
6.	Kakatur	10000
7.	Bodhan	5300
8.	Kanteswal	5000
9.	Nizamabad	4000
10.	Kamareddy	5000
11.	Vijianagram	7100
12.	Lalchai Pela	600
13.	Bobbili	600
14.	Jammu	1000
15.	Cheepurapally	1800
	TOTAL	55740

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय मंडलों (डिविजनों) के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था

2836. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलें के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के दो मंडलों में गरीबी रेखा के नीचे (बी०पी०एल०) श्रेणी की संख्या नाम मात्र है और जो 12 प्रतिशत से कम है;

(ख) क्या यह सच है कि इससे पूर्व वहां प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर पूर्ण राशन उपलब्ध कराया जाता था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी को बी० पी० एल० योजना लागू होने के बाद उन क्षेत्रों में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होने जैसे दुष्प्रभावों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) से (घ) स्व० प्रो० लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित "गरीबों का अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल" की क्रियाविधि पर आधारित योजना आयोग के अनुमानों, जिसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अपनाया गया था, के अनुसार उत्तर प्रदेश में 40.85% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की प्रतिशतता और प्रति माह प्रदान किए गए खाद्यान्नों के प्रभाग/क्षेत्रवार ब्यौरे केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के प्रत्येक परिवार को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुहैया किए जाते हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक स्वरूप की है। गरीबी रेखा से नीचे के कोटे के अलावा, विगत उठान के आधार पर राज्य सरकार को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए अस्थायी आवंटन भी किए जाते हैं। राज्यों को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन भी किए जाते हैं।

Allocation of Levy Sugar to Gujarat

2837. SHRI BANGARU LAXMAN:
SHRI PRAFULL GORADIA:

Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the detailed criteria being followed by the centre for allocation of levy sugar to States;

(b) whether it is a fact that levy sugar is allocated to States on the basis of projected population of 1998;

(c) if so, the reasons for not allocating levy sugar to Gujarat on that basis;

(d) whether any representation has been made by the State Government; and

(e) if so, the decision taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) to (e) The State/UTs are allocated levy sugar for Public Distribution System following a norm of minimum 425 gms per capita per month. The monthly quota is determined as per the 1991 census figures w.e.f. 1.1.1996 in respect of all the States/UTs. In addition, the Central Government also releases about 1 lakh tonnes of levy sugar per annum as festival quota which is allotted amongst all the States and UTs.

The request of Government of Gujarat for enhancement of levy sugar quota based on the projected pupulation of 1998 could not be acceded to as the sugar production in general and accrual of levy sugar in particular has yet to attain the stability to the extent needed for any upward revision.

पी०डी०एस० के तहत 1775 ब्लाकों के लिए पृथक योजना

2838. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नरसिंह राव सरकार ने विषम भौगोलिक स्थिति वाले 1775 ब्लाकों जहां अन्न का उत्पादन नहीं होता था, के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक पृथक योजना तैयार की थी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति, प्रति माह 7 किलो चावल तथा 10 किलो गेहूं उपलब्ध कराया जाता था;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में भी उक्त योजना को लागू किया जा रहा था;

(घ) क्या "गरीबी रेखा से नीचे योजना" को लागू किए जाने के बाद इसको रद्द कर दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में पहले की तरह राशन उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) से (ग) वर्ष 1992 में शुरू की गई सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देश के 1775 ब्लॉक कवर होते थे जिनमें उत्तर प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में स्थित 145 ब्लॉक भी शामिल हैं जहां सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, समान्वित